

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-1762/2012/भीलवाड़ा

2. अपील संख्या-1763/2012/भीलवाड़ा

3. अपील संख्या 1764/2012/भीलवाड़ा

मैसर्स सत्यनारायण ओमप्रकाश भण्डारी,
भीलवाड़ा

.....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), भीलवाड़ा
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-सी, भीलवाड़ा

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

...अपीलार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक

...विभाग की ओर से

दिनांक : 24.05.2018

निर्णय

1. यह तीनों अपीलें अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, भीलवाड़ा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत पारित आदेशों में निम्नानुसार कायम मांग राशियों को यथावत रखा एवं अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की गई।
2. तीनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के वर्ष 2006-07, 2007-08 व 2008-09 के कर निर्धारण करते हुए पाया गया कि उसके द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र वैट 57 प्रस्तुत किये गये, जिसमें केमिकेल्स फर्टीलाइजर की खरीद पर जिस पर वैट का भुगतान एमआरपी पर किया जाने से आईटीसी का लाभ स्वीकृत करवाना चाहा गया है। कर निर्धारण आदेशों में संशोधन करवाने हेतु व्यवसायी द्वारा अधिनियम की धारा 33 के तहत दिनांक 01.03.2011 को संशोधन प्रार्थना पत्र वैट 57 प्रस्तुत किये गये। इस संदर्भ में व्यवसायी को दिनांक 14.07.2011 के लिये सूचना पत्र जारी किया जाकर स्पष्टीकरण चाहा गया, जिसमें व्यवसायी के द्वारा प्रस्तुत वैट रिटर्न के साथ प्रस्तुत वैट 7 व 8 में खरीद बिक्री के प्रस्तुत विवरण के अनुसार कर निर्धारण सम्पादित किया गया था, जिसमें एमआरपी विक्रय राशि को कम किया जाकर शेष राशि पर करारोपण किया गया था व वैट 07 के अनुसार इनपुट का लाभ दिया गया।
4. जिसका प्रतिउत्तर व्यवसायी के द्वारा दिनांक 14.07.2011 को दिया, जिसमें बताया कि उनके द्वारा उक्त अवधि में राज्य के अन्दर अधिकतम खुदरा मूल्य पर वैट चुका कर केमिकेल्स फर्टीलाइजर की खरीद किया जाना बताया, जिसकी पुष्टि संलग्न

लगातार.....2

६

वैट 07 व क्रय बिलों की छाया प्रतियों से होना बताया। प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकारते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 28.7.2011 को आदेश पारित किये। उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपीलों को अस्वीकार करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार आरोपित आई.टी.सी. क्लेम को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अ.सं.	अपीलीय अधि की अपील स.	कर निर्धारण वर्ष	चाहा गया रिफण्ड
1762/12	74/वैट	08-09	48,070
1763/12	75/वैट	07-08	32,359
1764/12	76/वैट	06-07	42,072

5. अपीलार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।
6. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरणों में व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत वैट रिटर्न के साथ वैट 7 व 7 में खरीद बिक्री के प्रस्तुत विवरण के अनुसार कर निर्धारण सम्पारित किया गया था, जिसमें एमआरपी विक्रय राशि को कम किया जाकर शेष राशि पर करारोपण किया गया था व वैट 7 के अनुसार इनपुट का लाभ दिया गया है। व्यवसायी ने अपने जवाब में दर्शाया है कि उसके द्वारा राज्य के अन्दर अधिकतम खुदरा मूल्य पर वैट चुका कर केमिकल्स फर्टीलाइजर की खरीद की गयी है जिसकी पुष्टि वैट 7 से होती है। उपलब्ध वैट 10 के साथ वैट 7 व 8 एवं वैट ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आलौच्य अवधि का कर निर्धारण पारित किया गया था। इस प्रकरण में व्यवसायी ने धारा 4(7) के तहत MRP डीलर से MRP गुडस का क्रय करके उस पर आईटीसी चाहा है। जिसके सम्बन्ध में धारा 18(10) के प्रावधान स्पष्ट है कि यदि पंजीकृत व्यवसायी से कोई अन्य व्यवसायी MRP गुडस खरीद करता है तो धारा 2(41) के तहत उसकी बिक्री टर्नओवर का पार्ट नहीं होगी एवं उसे MRP गुडस का पृथक से हिसाब रखना होगा। MRP गुडस का टर्नओवर व्यवसायी के करयोग्य टर्नओवर का भाग नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कम्पनी के द्वारा MRP गुडस के उपर चुकाए गए कर का आईटीसी देय नहीं होगा। आईटीसी के सम्बन्ध में धारा 18 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। अतः उसका आगत कर का दावा करना विधिसम्मत नहीं है। फलतः धारा 18(10) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार व्यवसायी आगत कर का हकदार नहीं है। अतः अपीलीय आदेशों को यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।
8. प्रस्तुत प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेशों में विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश पारित किये हैं, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
9. परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखते हुए व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।
10. निर्णय सुनाया गया।

↓
(मदन लाल मालवीय)
सदस्य